सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 71 / 2015 अपील (RCMS/2015/00043)
पंजीयन दिनांक – 06.08.2015
निर्णय दिनांक – 03.07.2018

1. श्री विष्णु पिता श्री कन्हैयालाल डांगी, निवासी डांगियों का गुडा, मजरा लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सल्लुबाई पत्नि श्री वेणीराम डांगी, निवासी धोल की पाटी, डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. मु. लच्छु बाई पत्नि श्री कन्हैयालाल डांगी, निवासी शोभागपुरा (उमरवाड़ा), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती टाकूबाई पत्नि श्री भगवतीलाल डांगी, निवासी मदार, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।
4. श्री कन्हैयालाल पिता श्री दल्ला डांगी, निवासी डांगियों का गुडा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री कन्हैयालाल चोरड़िया – वकील अपीलान्ट
2. श्री आलोक कुमार जैन – वकील ररेस्पोंडेन्ट संख्या–1

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), उदयपुर प्रकरण संख्या 29 / 2013 दिनांक 06.01.2015

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), उदयपुर प्रकरण संख्या 29/2013 दिनांक 06.01.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती सल्लुबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा के समक्ष ग्राम पंचायत लखावली के नामान्तकरण संख्या 728 दिनांक 06.01.2012 से असतुष्ट होकर एक अपील धारा अन्तर्गत 75 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम डांगियों का गुडा की आराजी न. 1748, 5677 मी., 5682 मी., 5694, 5717, 5719, 5894, 5939 मी., 5965, 5968 कुल किता 10 रकबा 1.2450 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट स. 1 श्री सल्लु बाई, रेस्पोडेंट सख्या–2 श्रीमती लच्छुबाई पिता स्व. श्री दल्ला डांगी पत्नि श्री कन्हैयालाल डांगी एवं रेस्पोडेंट सख्या–3 श्रीमती टाकुबाई पिता स्व. श्री दल्ला डांगी पत्नि श्री भगवतीलाल डांगी की पैतृक भूमि है। उक्त भूमि में उनके पिता का 1/3 हिस्सा था। दल्ला की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पंचायत लखावली द्वारा दल्ला की वसीयत बताते हुए अपीलान्ट श्री विष्णु डांगी के नाम भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया। विवादित भूमि का नामान्तकरण दल्लाजी के जीवित वारिसान एक पुत्र व तीन पुत्रियों के नाम पर बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए था, रेस्पोडेंट सं.1 दल्लाजी की लड़की होकर प्राकृतिक वारिस है और तथाकथित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना था और विधिक जांच उपरानत नेचुरल वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर नामान्तकरण दर्ज किया जाना था। इस आशय से रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित नामान्तरकरण 728 दिनांक 06.01.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को मृतक दल्ला के विधिक वारिसान की सही जांच कर पुनः नये सिरे से विधिवत नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही बाबत निर्णय दिनांक 06.01.2015 पारित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 06.01.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित जिसकी बहस दिनांक 18.06.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय बिना अधिकार के है। कथित अपील का श्रवणाधिकार लेण्ड रेकार्ड आफिसर को है जो उप जिला कलक्टर को दे रख है। अधीनस्थ न्यायालय को सहायक कलक्टर के अधिकार ही है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कथित निर्णय बिना अधिकार के होने से निरस्त होने योग्य है। कथित नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में पारित किय गया है जो विधिवत है। यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो उसे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए, लेकिन सल्लुबाई ने दावा नहीं कर कथित अपील प्रस्तुत की जो बिना अधिकार के होकर निरस्त योग्य है। खातेदार दल्लाजी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि की अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कर दी तथा इस वसीयत के आधार पर दल्ला जी की मृत्यु बाद अपीलान्ट खातेदारी हक से काबिज चला आ रहा है। ऐसी अवस्था में जब तक रेस्पोडेंट न.1 सक्षम न्यायालय में कथित वसीयत को चुनौती नहीं दे तब तक नामान्तरकरण की अपील चलने योग्य नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार किए बिना अपील को स्वीकार करने में विधिक भूल की है। अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयत का रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा स्वीकार की गई जिसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को बहाल रखा जाना चाहिए था। रेस्पोडेंट संख्या 1 का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है, न उसका कोई अधिकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अधिकार के मौरूसी मान कथित आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में रेस्पोडेंट संख्या 4 श्री कन्हैयालाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 421 व आर.आर.डी. 1993 पेज 232 न्यायिक दृष्टांन्त पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय निरस्त फरमाये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट–1 ने बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में मुल पुरूष दल्लाजी डांगी की मृत्यु के पश्चात् दल्लाजी डांगी की संदिग्ध वसीयत के आधार पर उनके पौते अपीलान्ट विष्णु ने दल्लाजी की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम ग्राम पंचायत में बिगर दल्लाजी के नेचुरल वारिसान को सूचना दिये अपने नाम करवा ली तथा कथित संदिग्ध वसीयत में दल्ला जी के लडकें ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर रखे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 के तथ्यों पर विचार कर अपने निर्णय दिनांक 06.01.2015 में मृतक दल्ला के विधिक वारिसान की सही जांच कर प्रकरण तहसीलदार, बड़गांव को रिमाण्ड किया और रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील स्वीकार की। उक्त निर्णय दिनांक 06.01.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट ने आप न्यायालय में अपील पेश की एवं स्थगन चाहा जिस पर आप न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अपीलान्ट

के स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया उसकी पालना से तहसीलदार ने दल्लाजी के नेचुरल वारिस उनके पुत्र कन्हैयालाल, पौत्र विष्णु व दल्लाजी की तीनों पुत्रियों को नोटिस जारी कर पत्रावली कायम कर बाद सुनवाई विधिवत रूप से दल्लाजी के नेचूरल वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये। उस आदेश की अपील अपीलान्ट विष्णु द्वारा जिला कलक्टर के यहा कर रखी है व इसी दौरान अपीलान्ट विष्णु के पिता कन्हैयालाल द्वारा अपनी बहने लच्छु बाई व टांकुबाई से भूमि हक त्याग अपने पक्ष में करवा लिया जबकि वो स्वयं विष्णु की वसीयत में गवाह है, जो वसीयत की संदिग्धता को ओर मजबुत करती है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 06.01.2015 की पालना सुनिश्चित कर ली गई है व यह कार्यवाही उनके द्वारा मौजूदा अपील के पक्षकार अपीलान्ट व रेस्पोडेंट की सुनवाई करने के बाद की गई है, जबकि अपील अपीलान्ट विष्णु द्वारा जिला कलक्टर के यहा कर रखी है, ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में चलने वाली यह अपील इन्फ्रक्चुयस होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है, वैसे भी कानूनन नामान्तरकरण प्रक्रिया में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का अधिकार राजस्व न्यायालय व तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। आगे यह भी कथन किया कि प्रश्नगत भूमि मौरुसी है तथा मौरुसी होने के दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश शुदा है। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(1) पेज 196, आर.आर.डी. 1970 पेज 548, आरन.आर.टी. 2009 (2) पेज 988,989, आर.बी.जे.2008 पेज 68, आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 495, आर.आर.डी.2005 पेज 87, आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 650, आर. आर.टी. 2009 (1) पेज 376 आदि न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने को अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि मौरूसी है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पत्ति में सभी विधिक वारिसान का बराबर हक व हिस्सा निहित होता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत लखावली द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 का बिना सुने, बिना सूचित किये एवं वसीयत के आधार पर बिना विधिक वारिसान की जांच किए नाामान्तरकरण संख्या 728 दिनांक 06.01.2012 स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा द्वारा प्रकरण में विधिक परिक्षण कर नामान्तरकरण संख्या 728 दिनांक 06.01. 2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को मृतक दल्ला के विधिक वारिसान की सही जांच कर पुनः नये सिरे से विधिवत नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही

बाबत निर्णय दिनांक 06.01.2015 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.01.2015 में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर